भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 244

दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 के लिए प्रश्न

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

244. सुश्री एस. जोतिमणिः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवंटित निधि के निर्धारित 30 प्रतिशत के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) डीआईडीएफ के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय में 50 प्रतिशत महिला दुग्ध उत्पादकों को नामांकित करने के लक्ष्य को विभाग द्वारा कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है; और

(ग) डीआईडीएफ के अंतर्गत पुरुष और महिला लाभार्थियों की राज्य-वार सूची क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), डेयरी प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु एक अवसंरचना विकास निधि है। इसके अंतर्गत परिकल्पित अंतिम उधारकर्ता संस्थान (सहकारी दुग्ध संघ, राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ, बहु राज्य दुग्ध सहकारिताएं, दुग्ध उत्पादक कंपनियां, एनडीडीबी अनुषंगियां, राज्य सहकारी/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ स्व-सहायता समूह(एसएचजी) हैं। जिसके अंतर्गत पात्र उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए यह विभाग नाबार्ड के माध्यम से 2.5% की दर पर ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराता है।

(ख) और (ग़) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

****